


फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम सत्काट

उपखण्ड अधिकारी जनवारामगढ़, उत्तर प्रदेश
 157/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/01/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पत्र उज्ज। पत्रावली मादेश के विचारार्थ है। पत्रावली का अनुसूचित किरा गलत वक्त वकील उमर पत्र की वदल का भंग किरा गलत। अतः पत्रावली का अनुसूचित किरा के वदल का भंग करके एच 50पी के फावना पत्र अनुसूचित धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट की उपबन्धनों के आधार पर सत्काट किरा लागू है। किरा निर्णय प्रत्येक है लिला एकर शाखिल जिल्ला किरा गलत। पत्रावली केमल उमर केकर वदल के कर के वक्त वदल प्रति केकर शाखिल सत्काट</p>	


 उप खण्ड अधिकारी
 जनवारामगढ़